



पीएचडी थीसिस कॉपी-पेस्ट की तो फंसेंगे शिकंजे में

■ एनबीटी सं, लखनऊ : पीएचडी थीसिस कॉपी-पेस्ट करके या फिर चोरी के कंटेंट से तैयार की तो स्क्रीनिंग कमिटी के शिकंजे में फंसना तय है। एल्यू हर विभाग में एक स्क्रीनिंग कमिटी बना रहा है। यह कमिटी पीएचडी थीसिस कंटेंट को चेक करेगी। इससे पास होने के बाद ही पीएचडी थीसिस इवैल्यूएशन के लिए भेजी जाएगी।

इससे पहले किसी दूसरे की थीसिस से कंटेंट चुरा कर या इंटरनेट से कॉपी-पेस्ट करने के कई मामले सामने आए हैं। लिहाजा यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को पीएचडी की गुणवत्ता और अच्छी करने की गाइडलाइन जारी की है। इसमें पीएचडी थीसिस के कंटेंट की स्क्रीनिंग किए जाने की बात कही गई है। एल्यू वीसी प्रो.आलोक कुमार राय ने बताया कि नए पीएचडी अध्यादेश में प्रत्येक विभाग में साहित्यिक चोरी विरोधी समिति (स्क्रीनिंग कमिटी) की स्थापना की जाएगी। इस कमिटी में विभागाध्यक्ष अध्यक्ष होंगे और उनकी ओर से दो नामित सदस्य स्क्रीनिंग कमिटी के सदस्य होंगे जो पीएचडी थीसिस की सही से जांच करेगी। यह देखेगी कि कहीं कंटेंट पूर्व हुई किसी पीएचडी थीसिस से चुराया तो नहीं गया है। यह भी चेक कराया जाएगा कि इंटरनेट से कंटेंट कॉपी-पेस्ट तो नहीं किया गया है। स्क्रीनिंग कमिटी की रिपोर्ट मिलने के बाद ही थीसिस जमा करने के लिए इवैल्यूएशन के लिए भेजी जाएगी।

तीन दिन में देनी होगी रिपोर्ट

डीएसडब्ल्यू प्रो.पुनम टंडन ने बताया कि पीएचडी थीसिस की स्क्रीनिंग टाइम वाउंड की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे शोधार्थी को थीसिस स्क्रीनिंग के नाम पर दीढ़ाया न जाए। स्क्रीनिंग कमिटी को तीन दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। डीएसडब्ल्यू ने बताया कि नया पीएचडी अध्यादेश तैयार कर रही मीटिंग में तय किया गया कि थीसिस की जांच और सत्यापन में स्क्रीनिंग कमिटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह सुनिश्चित करेगी कि थीसिस किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी से मुक्त है। इसके लिए विवि वर्तमान में साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है। वहीं बीए, बीएससी व बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 22 जुलाई कर दी गई है। पहले यह तिथि 17 जुलाई रखी गई थी।

लविवि में परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर परीक्षाओं के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब स्नातक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी 22 जुलाई तक परीक्षा फॉर्म भर 24 जुलाई तक विश्वविद्यालय में जमा कर सकते हैं। वहीं, परास्नातक, एलएलबी व बीएड के विद्यार्थी 24 जुलाई तक फॉर्म भरकर 26 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। पहले यह तिथि 17 जुलाई निर्धारित थी। विवि ने जिन पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई है, उनमें स्नातक में बीए, बीएससी, बीकॉम दूसरे सेमेस्टर, परास्नातक एवं बीएड दूसरे, चौथे सेमेस्टर, एलएलबी दूसरे, चौथे व छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं शामिल हैं। (संवाद)

समेस्टर परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी

लखनऊ। लविवि ने सम सेमेस्टर की परीक्षाओं के क्रम में वृहस्पतिवार को दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं के प्रवेश पत्र जारी कर दिए। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। (संवाद)

साहित्यिक चोरी रोकने के लिए बनेगी प्लेगरिज्म समिति

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय पीएचडी थीसिस में साहित्यिक चोरी रोकने के लिए सभी विभागों में प्लेगरिज्म समिति का गठन करेगा। यह समिति शोधार्थी के कंटेंट की जांच करेगी कि उसका शोध कितना सही है। लविवि में आगामी सत्र के लिए तैयार किए जा रहे नवीन पीएचडी अध्यादेश में इसका प्रावधान किया गया है।

लविवि ने नए पीएचडी अध्यादेश में किया प्रावधान

कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने बुधवार को नवीन पीएचडी अध्यादेश तैयार करने वाली समिति की बैठक बुलाई। इसमें इस प्रमुख बिंदु पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में ऐसे तंत्र की स्थापना पर जोर दिया गया जो पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए सभी शोध गतिविधियों का एक अभिन्न अंग होने के लिए शोध की गुणवत्ता पर बल देता है। कुलपति बताया कि शोध में सबसे महत्वपूर्ण है कि वह कैसे किया गया है, जो उसे एक बेहतर शोध साबित कर सके। नवीन अध्यादेश में साहित्यिक चोरी रोकने के लिए विभाग के प्रमुख द्वारा नामित दो शिक्षकों की समिति पीएचडी थीसिस की जांच और सत्यापन का काम करेगी, ताकि पता चल सके कि शोध साहित्यिक चोरी से मुक्त है। शोध में विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए विवि वर्तमान में साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर OURIGINAL का इस्तेमाल कर रहा है। (संवाद)

एल्यू होगा गुलजार, स्नातक के फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई 25 से

कई डिग्री कॉलेजों ने 25 तो कुछ ने एक अगस्त से कक्षाएं शुरू करने की तिथि तय की

LUCKNOW (20 July) : लखनऊ यूनिवर्सिटी की ओर से नए सत्र की कक्षाएं एक अगस्त से शुरू करने का एकेडमिक कैलेंडर जारी किए जाने के बाद अब डिग्री कॉलेजों ने भी पढ़ाई की समय सारिणी तय कर दी है। कई जगह स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं 25 जुलाई तो कुछ कॉलेजों में एक अगस्त से शुरू हो जाएंगी। प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को काउंसिलिंग के समय इसकी सूचना दी जा रही है।

ओरिएंटेशन से होगी शुरुआत

नेशनल पीजी कॉलेज में ओरिएंटेशन कार्यक्रम की शुरुआत 25 जुलाई से



बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं के साथ होगी। इसी के साथ कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। पं. दीन दयाल उपाध्याय राजकीय महिला पीजी कॉलेज राजाजीपुरम में भी 25 जुलाई से बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। प्राचार्य डा. रमेश चंद्र वर्मा ने

यहां एक अगस्त से शुरुआत

एल्यू के साथ नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज में एक अगस्त को छात्राओं के ओरिएंटेशन के साथ कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। नेता जी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला पीजी कॉलेज में एक अगस्त को ओरिएंटेशन प्रोग्राम और दो अगस्त से कक्षाएं संचालित होंगी। मुमताज पीजी कॉलेज में एक अगस्त से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। दो पाली में परीक्षाएं होने की वजह से कक्षाएं सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक चलेंगी। श्री जय नारायण मिश्र

पीजी कॉलेज (केकेसी), अटल बिहारी वाजपेयी नगर निगम डिग्री कॉलेज में एक अगस्त और बप्पा श्री नारायण वाकेशनल पीजी कॉलेज (केकेसी) में अगस्त के पहले सप्ताह से प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू होंगी।



आईटी कॉलेज

यहां सत्र, आठ व नौ अगस्त को ओरिएंटेशन होगा। उसी के बाद प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी।

थीसिस में चोरी मिली तो नहीं कर पाएंगे पीएचडी

लखनऊ। एल्यू में पीएचडी थीसिस में चोरी का कंटेंट लिखने पर उसे मूल्यांकन के लिए नहीं भेजा जाएगा। थीसिस में चोरी के कंटेंट जांचने के लिए हर विभाग में स्क्रीनिंग कमिटी बनेगी।

एल्यू में यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार संशोधित पीएचडी अध्यादेश तैयार किया जा रहा है। कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने बताया कि नए पीएचडी अध्यादेश में हर विभाग में साहित्यिक चोरी विरोधी समिति की स्थापना होगी। इसमें विभागाध्यक्ष समेत तीन लोग होंगे जो पीएचडी थीसिस की सही से जांच करेंगे। समिति देखेगी कि

तीन दिन में रिपोर्ट दें

अधिष्ठाता अकादमिक प्रो. पुनम टंडन ने बताया कि स्क्रीनिंग कमिटी को तीन दिन में थीसिस की रिपोर्ट देनी होगी, जिससे कि शोधार्थी को स्क्रीनिंग के नाम पर दीढ़ाया न जाए। विवि साहित्यिक चोरी पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है।

थीसिस में लिखा गया कंटेंट किसी पीएचडी थीसिस से चुराया तो नहीं गया है। साथ ही कमेटी इसकी भी जांच करेगी कि इंटरनेट से कंटेंट कॉपी पेस्ट तो नहीं किया गया है।

स्नातक प्रथम सेमेस्टर की पढ़ाई 25 से

जैसे, लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से नए सत्र की कक्षाएं एक अगस्त से शुरू करने का एकेडमिक कैलेंडर जारी किए जाने के बाद अब डिग्री कॉलेजों ने भी पढ़ाई की समय सारिणी तय कर दी है। कई जगह स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं 25 जुलाई तो कुछ कॉलेजों में एक अगस्त से शुरू हो जाएंगी। प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को काउंसिलिंग के समय इसकी सूचना दी जा रही है।



बनाकर छात्र-छात्राओं को मैसेज दिया जाएगा। कृष्णा देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में भी 25 से स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू करने की समय सारिणी जारी कर दी गई है। वहीं एक अगस्त से शुरुआत : लविवि के साथ नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज में एक अगस्त को छात्राओं के ओरिएंटेशन के साथ कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। मुमताज पीजी कॉलेज में एक अगस्त से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। दो पाली में परीक्षाएं होने की वजह से कक्षाएं सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक चलेंगी। केकेसी, अटल बिहारी वाजपेयी नगर निगम डिग्री कॉलेज में एक अगस्त और केकेसी में अगस्त के पहले सप्ताह से प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू होंगी।

अब कमेटी भी करेगी साहित्यिक चोरी की जांच

लवि शोध की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नए पीएचडी अध्यादेश में कई बदलाव कर रहा है। इसके तहत अब पीएचडी थीसिस की जांच एवं सत्यापन साहित्यिक चोरी विरोधी समिति करेगी। कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। कुलपति ने बताया कि पीएचडी के नए अध्यादेश के अनुसार प्रत्येक विभाग में साहित्यिक चोरी विरोधी समिति की स्थापना की जाएगी। विभाग के प्रमुख और विभागाध्यक्ष द्वारा नामित दो शिक्षकों से बनी यह समिति पीएचडी थीसिस की जांच और सत्यापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पीएचडी थीसिस में अत्याधुनिक साहित्यिक चोरी का पता लगाने का काम सॉफ्टवेयर से किया जाता है।

पीएचडी में साहित्यिक चोरी रोकने को लेकर पहले

हर विभाग में नॉमित होंगे दो शिक्षक सत्यापन पर लगायेंगे मुहर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

नैक से ए प्लस प्लस की रैंकिंग हासिल करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए बर्लिन टी ऑफ एजुकेशन को लेकर नित नये कदम उठा रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तैयार किए गए पीएचडी नियमों के अनुरूप विवि नया आईनिस तैयार कर रहा है। इसके तहत हर विभाग में दो शिक्षक नामित किये जायेंगे। जिनके पास यह जिम्मेदारी होगी कि पीएचडी की थीसिस में साहित्यिक चोरी को रोकें। विवि स्तर पर नए पीएचडी अध्यादेश को तैयार करने के

लिए गठित समिति की बैठक आज विवि के कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया गया जो पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए सभी शोध गतिविधियों का एक अभिन्न अंग होने के लिए शोध उत्कृष्टता पर बल देता है। नए अध्यादेश का एक प्रमुख घटक प्रत्येक विभाग में साहित्यिक चोरी विरोधी समिति की स्थापना करना है। विभाग के प्रमुख और विभागाध्यक्ष द्वारा नामित दो शिक्षकों से बनी यह समिति पीएचडी थीसिस की जांच और सत्यापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वे किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी से मुक्त हैं। विश्वविद्यालय

वर्तमान में शोध इंटीग्रीटी को बनाए रखने में अपने प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए अत्याधुनिक साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है। बैठक में कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने विश्वविद्यालय में अनुसंधान मानकों को आगे बढ़ाने के लिए अपना अटूट समर्पण व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान और अकादमिक उत्कृष्टता की खोज में शोध की अखंडता एक मौलिक स्तंभ है। नए पीएचडी अध्यादेश को तैयार करने के लिए जिम्मेदार समिति की मंवर सेक्रेटरी प्रो. पुनम टंडन ने अध्यादेश को तैयार करने में किए गए सहयोगात्मक प्रयासों के बारे में अपना उत्साह साझा किया।

{ NEW PHD ORDINANCE }

LU to establish panel for anti-plagiarism in each department

HT Correspondent
letters@htlive.com

LUCKNOW : The University of Lucknow has announced that one of the components of the new PhD ordinance is establishment of an anti-plagiarism committee in each department. "Consisting of the head of the department and two teachers nominated by the head, this anti-plagiarism committee will play a crucial role in scrutinising and verifying PhD theses, ensuring that they are free from plagiarism. The University is currently utilising the state-of-the-art plagiarism detection software OURIGINAL to reinforce its efforts in maintaining research integrity," said vice chancellor Prof. Alok Kumar Rai. He called a meeting of the committee and said that the new PhD ordinance must reflect the University's commitment to promoting quality research and fostering an environment of innovation and originality. The V-C said that research integrity is a fundamental pillar

THE NEW PHD ORDINANCE IS SET TO BE APPLICABLE FROM ACADEMIC SESSION 2023-24.

in the pursuit of knowledge and academic excellence. Professor Poonam Tandon, the member secretary of the committee responsible for preparing the new PhD ordinance, shared her enthusiasm about the collaborative efforts that have gone into crafting the ordinance. She expressed confidence that new measures would empower researchers to engage in high-quality research and contribute to their respective fields. The new PhD ordinance is set to be applicable from the academic session 2023-24. It marks a transformative milestone in the University's journey towards fostering a culture of academic rigor, integrity, and originality among its scholars. The report will be submitted by the panel within three days.

साहित्यिक चोरी से मुक्त शोध को लविवि दे रहा तरजीह

वरिष्ठ संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने शोध और अकादमिक उत्कृष्टता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम की घोषणा की। प्रो. आलोक कुमार राय ने गुरुवार को एक नए पीएचडी अध्यादेश को तैयार करने के लिए सौंपी गई समिति की बैठक बुलाई, जिसमें एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया गया जो पीएचडी डिग्री देने के लिए सभी शोध गतिविधियों का एक अभिन्न अंग होने के लिए शोध उत्कृष्टता पर बल देता है।

राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा तैयार किए गए पीएचडी नियमों के अनुरूप, नया पीएचडी अध्यादेश गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने और नवाचार और

मौलिकता के माहौल को सतत बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नए अध्यादेश का एक प्रमुख घटक प्रत्येक विभाग में साहित्यिक चोरी विरोधी समिति की स्थापना करना है। विभाग के प्रमुख

● नए पीएचडी अध्यादेश के साथ लविवि ने दिखाई शोध और शैक्षणिक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता

● कुलपति ने नए पीएचडी अध्यादेश को तैयार करने के लिए सौंपी गई समिति की बुलाई बैठक

और विभागाध्यक्ष द्वारा नामित दो शिक्षकों से बनी यह समिति पीएचडी थीसिस की जांच और सत्यापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वे किसी प्रकार की साहित्यिक चोरी से मुक्त हैं। विश्वविद्यालय वर्तमान में शोध इंटीग्रीटी



को बनाये रखने में अपने प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए अत्याधुनिक साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर ओरिजिनल का उपयोग कर रहा है। इस अवसर पर बोलते हुए कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने लखनऊ विश्वविद्यालय में अनुसंधान मानकों को आगे बढ़ाने के लिए अपना अटूट समर्पण व्यक्त किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान और अकादमिक उत्कृष्टता की खोज में

शोध की अखंडता एक मौलिक स्तंभ है। नए पीएचडी अध्यादेश को तैयार करने के लिए जिम्मेदार समिति की मंवर सेक्रेटरी प्रो. पुनम टंडन ने अध्यादेश को तैयार करने में किए गए सहयोगात्मक प्रयासों के बारे में अपना उत्साह साझा किया।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए उपाय शोधकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले शोध में संलग्न होने और अपने संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सशक्त बनायेंगे। नया पीएचडी अध्यादेश शैक्षणिक सत्र 2023-24 से लागू होने वाला है। यह अपने विद्वानों के बीच शैक्षणिक इंटीग्रीटी और मौलिकता की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में विश्वविद्यालय की यात्रा में एक परिवर्तनकारी मील का पथर है। कमेटी अपनी रिपोर्ट तीन दिन में जमा कर देगी।